प्रेस प्रकाशनी

सितंबर 2009

मेसर्स राजसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

2 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स राजसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 70, जनपथ (दूसरी मंज़िल), नई दिल्ली-110015 में है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत

3 सितंबर 2009

नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सोमवार, 7 सितंबर 2009 से प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

जॉयस फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

4 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जॉयस फाइनेन्स प्राइवेट

लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सं. 32, 13 वां क्रॉस, विल्सन गार्डन, बेंगलूर-560027 में है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

एफआरबी 2013 पर ब्याज दर - भारतीय रिज़र्व बैंक की घोषणा

9 सितंबर 2009

अस्थायी दर बांड, 2013 (एफआरबी, 2013)पर वर्ष (10 सितंबर 2009 से 9 सितंबर 2010) के लिए लागू ब्याज की दर 4.81 प्रतिशत वार्षिक होगी।

एफआरबी, 2013 की ब्याज की दर परिवर्ती मूल दर के ऊपर बढ़ा दी गई थी (9 सितंबर 2004 को आयोजित नीलामी में किए गए निर्णय के अनुसार)। ब्याज के भुगतान के लिए परिवर्ती मूल दर संबंधित वार्षिक कूपन रिसेट तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती तारीख को भारत सरकार की 364 दिवसीय खजाना बिलों की तीन नीलामियों में उभरे अधिकतम मूल्य पर अव्यक्त प्रतिलाभ की औसत दर (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)होगी। भारत सरकार की 364 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली तीन नीलामियों के अधिकतम मूल्य पर अव्यक्त प्रतिलाभ की औसत दर पर आधारित परिवर्ती मूल दर 4.36 प्रतिशत होती है। 9 सितंबर 2004 को आयोजित नीलामी में यह दर (+) 0.45(जमा 0.45) प्रतिशत निर्धारित की गई थी। तदनुसार कूपन दर निर्धारित की गई है।

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुन: नियुक्त किया गया

9 सितंबर 2009

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर को 20 जून 2011 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है। श्रीमती गोपीनाथ को पूर्व में पाँच वर्ष की अवधि के लिए 21 सितंबर 2004 को उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती गोपीनाथ वर्तमान में आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, वित्तीय बाज़ार विभाग, सचिव विभाग, संचार विभाग और विधि विभाग का कार्यभार संभाल रही हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी नियमावली) 2009

14 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी नियमावली) 2009 के नाम से नोट वापसी नियमावली का एक नया सेट तैयार किया है और इसे भारत सरकार के गज़ट में 4 अगस्त 2009 को अधिसूचित किया गया है तथा वह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नियमावलियों के नए सेट का सरलीकरण किया गया है और वह समझने में आसान है। ये

नियमावलियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक नोटों को स्वीकार करते समय प्रतिबंधात्मक व्यवहार

14 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कतिपय संस्थाएं कतिपय मूल्यवर्ग अथवा श्रृंखला इत्यादि के नोटों को स्वीकार नहीं करने जैसे प्रतिबंधात्मक व्यवहार अपना रही हैं। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात पर जोर देना आवश्यक समझता है कि नकद स्वीकार कर रहे सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक / निजी क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य किसी भी संगठन/प्रतिष्ठान/एकल व्यक्तियों को ऐसे व्यवहारों से बाज़ आना चाहिए।

अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। असली भारतीय बैंक नोटों की विशिष्टताएं भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध हैं।

भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनी विशेष बांड जारी करने की घोषणा की (संशोधित)

15 सितंबर 2009

भारत सरकार ने 10,306.33 करोड़ रुपये (सांकेतिक) के लिए ''8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनी भारत सरकार विशेष बांड, 2024'' जारी करने की घोषणा की है। विशेष बांड तीन तेल विपणन कंपनियों को जारी किये जा रहे हैं। यह उनको चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में अनुमानित कम वसूली के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किया जा रहा है। ये विशेष बांड 15 सितंबर 2009 (मंगलवार) को निम्नलिखित तेल विपणन कंपनियों को सममूल्य पर जारी किये जा रहे हैं।

(1) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) : 6207.06 करोड़ रुपए

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) : 2033.99 करोड़ रुपए

(3) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) : 2065.28 करोड़ रुपए

विशेष बांड में बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा निवेश उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के लिए गिनती में नहीं लिए जाएंगे। तथापि, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत परिभाषित ''अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां'' श्रेणी के अंतर्गत निवेश के लिए गिने जाएंगे। साथ ही विशेष बांड में भविष्य निधि, उपदान निधि, अधिवर्षिता निधि आदि द्वारा किए गए निवेश वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत पात्र निवेश माने जाएंगे।

विशेष बांड अंतरणीय होंगे और बाज़ार तत्काल वायदा लेनदेन (रिपो) के लिए पात्र होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., नागपुर (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द किया

16 सितंबर 2009

दि नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., नागपुर (महाराष्ट्र) के शोधक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के

कारण बैंक के जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 सितम्बर 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से दि नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., नागपुर (महाराष्ट्र) के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन डीआइसीजीसी अधिनियम के अनुसार बीमाकृत राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में दि नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., नागपुर (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती एम. यशोदा बाई, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:

डाक पता : अतिरिक्त कार्यालय भवन, पूर्व हाई कोर्ट रोड, पोस्ट बॉक्स 118, नागपुर-440001; टेलीफोन नंबर : (0712) 2538696; फैक्स नंबर : (0712) 2806670।

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर के हस्ताक्षर से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'E' के साथ 500 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना

17 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर के हस्ताक्षर से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'E' के साथ 500 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इनसेट लेटर में परिवर्तन के अलावा, इस समय जारी किये जाने वाले इन बैंक नोटों की डिज़ाइन हर तरह से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में जारी बैंक नोटों के समान होगी तथा साथ ही उनमें 21 अक्तूबर 2005 को जारी की गई अतिरिक्त/नई सुरक्षा विशेषताएं भी होंगी। रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2000 से महात्मा गांधी श्रृंखला में जारी किए गए 500 रुपये मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे ।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

23 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पंजीकृत कार्यालय उनके नाम के सामने दर्शाए गए पते पर है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	निरस्त करने की तारीख
1.	मेसर्स पीत इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	जी-73, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	14.01030 दिनांक 10 अगस्त 1998	21 अगस्त 2009
2.	मेसर्स परशुराम कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड	ए-120, कबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094	बी 14.01888 दिनांक 25 अगस्त 2000	21 अगस्त 2009
3.	मेसर्स चांगिया क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	37, अजीश हाउस, 16/3, अब्दुल अजीज़ रोड, डब्ल्यूईए करोल बाग, नई दिल्ली-110005	14.00697 दिनांक 25 अप्रैल 1998	21 अगस्त 2009
4.	मेसर्स कौशांभी फिनवेस्ट लीज कंपनी लिमिटेड	एफ्-89/11, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, नई दिल्ली-110020	14.00341 दिनांक 07 मार्च 1998	21 अगस्त 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर के हस्ताक्षर से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'R' के साथ 50 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना

29 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर के हस्ताक्षर से महात्मा गांधी श्रृंखला - 2005 में दोनों संख्या पटलों में इनसेट लेटर 'R' के साथ 50 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा। इनसेट लेटर में परिवर्तन के अलावा इस समय जारी किये जानेवाले इन बैंक नोटों की डिज़ाइन हर तरह से महात्मा गांधी श्रृंखला- 2005 में जारी बैंक नोटों के समान होगी तथा साथ ही उनमें 24 अगस्त 2005 को जारी की गई अतिरिक्त/ नई सुरक्षा विशेषताएं भी होंगी। रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए 50 रुपये मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

मेसर्स अनिल राय एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

29 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स अनिल राय एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जीवन तारा बिल्डिंग, 5-पर्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 में है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 31 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

मेसर्स पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

29 सितंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी.एफ. 5-6-7, डब्ल्यू.टी.सी. बाबर रोड, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 14 सितंबर 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वेच्छा से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।